रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD.NO.D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2011/ज्येष्ठ 27, 1933
No. 125] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2011/JYAISTHA 27, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2011

अंतिम जाँच परिणाम

(मध्यावधि समीक्षा)

विषय : चीनी ताइपेई से पेन्टाएरिथ्रिटॉल के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के बारे में मध्यावधि समीक्षा जांच—अंतिम जाँच परिणाम ।

क. मामले की पृष्ठभूमि

सं. 15/10/2010-डीजीएडी.—यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने चीनी ताइपेई के मूल के या वहाँ से निर्यातित पेन्टाएरिथ्रिटॉल के आरोपित पाटन के बारे में 22 जून, 2010 को मध्यावधि समीक्षा पाटनरोधी जाँच शुरू की । चीनी ताइपेई, कनाडा और जापान के मूल के या वहाँ से निर्यातित पेन्टाएरिथ्रिटॉल के आयातों के खिलाफ मूल जाँच 22 नवम्बर, 2001 को शुरू की गई थी। समस्त तीनों देशों से पेन्टाएरिथ्रिटॉल के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क 15 फरवरी, 2002 के प्राधिकारी के प्रारंभिक जाँच परिणामों के आधार पर 27 मार्च, 2002 को सी.शु. अधिसूचना सं. 33/2002-सी.शु. के तहत लगाया गया था । अंतिम जाँच परिणाम 8 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किए गए थे और राजस्व विभाग ने उपर्युक्त संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क 31 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना सं. 119/2002-सी.शु. के तहत लगाया था । प्राधिकारी ने 5 वर्ष समाप्त होने के बाद 15 मार्च, 2007 को निर्णायक समीक्षा जाँच शुरू की थी। निर्णायक समीक्षा संबंधी अंतिम जांच परिणाम 5 मार्च, 2008 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किए गए थे और राजस्व विभाग ने 28 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना सं. 55/2008-सी.शु. के तहत चीनी ताइपेई तथा जापान से संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की राशि में वृद्धि की थी ।

2. और यतः नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से लागू रखने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा करनी अपेक्षित है और उसे प्राप्त सकारात्मक सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट होने के बाद की ऐसे शुल्क को सतत रूप से लागू रखने का कोई औचित्य नहीं है, प्राधिकारी उसे समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश कर सकते हैं । उपर्युक्त उपबंध के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी का मै. कनोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. द्वारा दायर एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें चीनी ताइपेई के मूल की या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की जरूरत की पुष्टि की गई थी और संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की राशि को बढ़ाने/उसमें संशोधन करने का अनुरोध किया था । घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत कई आधारों में से उन्होंने यह अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले पाटन को समाप्त करने के लिए मौजूदा उपाय अब काफी नहीं रहा है और घरेलू उद्योग मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद अपना निष्पादन सुधारने में समर्थ नहीं है । यह उल्लेख किया गया था कि एक बार क्षतिकारी पाटन समाप्त किए जाने के बाद घरेलू उद्योग को अपना निष्पादन उचित स्तर पर लाने की स्थिति में आ जाना चाहिए था । घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि आयात के मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद आयातों के कारण हो रही कीमत कटौती के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । घरेलू उद्योग ने आगे यह अनुरोध किया था कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटित कीमतों पर बड़ी मात्रा में आयात हो रहे हैं । यह भी तर्क दिया गया था कि चीनी ताइपेई से हो रहे आयातों के कारण वर्तमान पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी अत्यधिक कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री हो रही है ।

3. समीक्षा शुरू करने के लिए परिस्थितियों में इस परिवर्तन को उचित माना गया था । 5 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. 15/7/2006-डीजीएडी के तहत अधिसूचित अंतिम जाँच परिणामों की समीक्षा करने का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से लागू रखने और इस बात की समीक्षा करने के लिए कि क्या चीनी ताइपेई के मूल के या वहाँ से निर्यातित पेन्टाएरिथ्रिटॉल के आयातों पर शुल्क को सतत रूप से जारी रखना पाटन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है अथवा क्या शुल्क की राशि बढ़ाने से क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है, नियम 23 के अनुसार जाँच शुरू की ।

ख. प्रक्रिया

4. इस जाँच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है ।

i) समीक्षा शुरू करने के बाद प्राधिकारी ने संगत सूचना माँगने के लिए नियम 6(4) के अनुसार जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के साथ-साथ संबद्ध देश के समस्त ज्ञात उत्पादकों और/ अथवा निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी ।

क्र. सं.	कम्पनी का नाम
1	मै. ली चांग युंग कैमिकल इंड. कॉर्पोरेशन
2	ताइपेई प्लस कैमिकल इंड. कंपनी
3	परेलाकैमीकैलो लि.

तथापि, इनमें से किसी भी पक्षकार ने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया । वस्तुतः किसी भी निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

ii) नियम 6(2) के अनुसार नई दिल्ली स्थित चीनी ताइपेई सांस्कृतिक केंद्र को इस अनुरोध के साथ जाँच की शुरूआत के बारे में सूचित किया गया था कि वे निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें ।

iii) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना माँगते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों, उपभोक्ताओं, औद्योगिक प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियाँ भेजी गई थीं ।

क्र. सं.	कंपनी का नाम	क्र. सं.	कंपनी का नाम
1	मै. विबज्योर पेन्ट्स प्रा. लि., मुंबई	17	मै. एच आर ट्रेडिंग कं. प्रा. लि., मुंबई
2	मै. सुमन ट्रेड इम्पैक्स प्रा. लि., मुंबई	18	मै. लियो कैमो प्लास्ट प्रा. लि., मुंबई
3	मै. सराफ कैमिकल्स लि., मुंबई	19	मै. समीर डाइकैम, मुंबई
4	मै. एलकॉन इंटरप्राइजेज, कोलकाता	20	मै. वर्जर पेन्ट्स इंडिया लि., मुंबई
5	मै. एवीएम सेल्स प्रा. लि., कोलकाता	21	मै. सेंचुरी इन्का लि., मुंबई
6	मै. सिवा स्पेशियलिटी कैमिकल्स (इंडिया) लि., मुंबई	22	मै. एडिसन पेन्ट्स एंड कैमिकल्स, चेन्नई
7	मै. डैक्रो पेन्ट्स, हैदराबाद	23	मै. कोट्स ऑफ इंडिया लि., मुंबई
8	मै. डुजोडवाला पेपर कैमिकल्स लि., रायगढ़	24	मै. हार्ड कैसल एंड वॉल मैन्यू. कं. लि., मुंबई
9	मै. गार्गी इंड. प्रोप., नवी मुम्बई	25	मै. गुडलास नैरालैक पेन्ट्स लि., मुंबई
10	मै. मित्शु इंड. लि., मुंबई	26	मै. हीरो डाइकैम इंड., मुंबई
11	मै. रेजिन्स एंड पिगमेंट्स, पीतमपुर (म.प्र.)	27	मै. हिन्दुस्तान इंक्स एंड रेजिन्स, मुंबई
12	मै. कैमीकलर एजेंसी, कोलकाता	28	मै. आईवीपी लि., थाणे
13	मै. शालीमार पेन्ट्स लि., हावड़ा	29	मै. जैनसन एंड निपलसन (आई) लि., कोलकाता
14	मै. डुजोडवाला पेपर कैमिकल्स, मुंबई	30	मै. पारस डाइज एंड कैमिकल्स, मुंबई
15	मै. ईस्ट कार्पो. इंटरनेशनल, कोलकाता	31	मै. पर्सटार्प एजेंसीज कैमिकल्स प्रा. ल., वलसाड
16	मै. गरवारे पॉलिस्टर लि., मुंबई	32	मै. गुडलास नैरालैक पेन्ट्स लि., मुंबई

तथापि, इनमें से किसी भी पक्षकार ने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर नहीं किया ।

iv) यह जाँच 01.01.2009 से 31.12.2009 तक की अवधि (जाँच अवधि) के लिए की गई थी । तथापि, क्षति जाँच वर्ष 2006-07 से जाँच अवधि की समाप्ति तक की अवधि के लिए की गई थी ।

v) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस), कोलकाता से जाँच अवधि और पिछले तीन वर्षों के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था । डीजीसीआई एंड एस से सूचना प्राप्त हुई थी । तथापि, इस जाँच में डीजीसीआई एंड एस की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया गया है क्योंकि आईबीआईएस द्वारा प्रदर्शित मात्रा डीजीसीआई एंड एस से अधिक है । घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि आईबीआईएस की रिपोर्टों में मद के विवरण के अनुसार सूचना दी गई है और इनमें अन्य वर्गीकरणों के अंतर्गत सूचित विचाराधान उत्पाद शामिल है । संबद्ध वस्तु के अन्य उत्पादकों से भी घरेलू उद्योग के निर्धारित प्रश्नावली में और ढंग से सूचना माँगी गई थी तथापि, घरेलू उद्योग संबंधी प्रपत्र में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी ।

vi) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6(iii) के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और/अथवा निर्यातकों तथा चीनी ताईपेई सांस्कृतिक केन्द्र को आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की प्रतियाँ उपलब्ध कराईं । अनुरोध किए जाने पर अगोपनीय आवेदन की प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी ।

vii) ताइवान में संबद्ध वस्तु के किसी भी निर्यातक या उत्पादक से जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था ।

viii) प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार संगत सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करने हेतु 18 जनवरी, 2011 को मौखिक सुनवाई आयोजित की जिसमें मै. कनोरिया कैमिकल्स एंड इंड. लि. (अपने परामर्शदाताओं के जरिए) ने भाग लिया था । मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से प्रस्तुत सूचना को लिखित अनुरोध दायर करने की सलाह दी गई थी । हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विचारों/सूचना पर खण्डनात्मक तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों पर समुचित विचार किया है ।

ix) बाद में चीनी ताइपेई के एक निर्यातक से ई-मेल प्राप्त हुआ जिसने जाँच की शुरूआत के बाद से ही प्राधिकारी को कोई तर्क/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था । इस ई-मेल में सार्वजनिक सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि उसे सार्वजनिक सुनवाई का पत्र काफी विलंब से मिला था । बाद में चीनी ताइपेई सांस्कृतिक केन्द्र से भी एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें इस तथ्य के बारे में चिंता व्यक्त की गई कि निर्यातकों में से एक निर्यातक को सार्वजनिक सुनवाई की सूचना काफी बाद में मिली है ।

प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार संगत सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक और अवसर प्रदान करने हेतु 30 मार्च, 2011 को एक अन्य सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की । यह नोट किया जाता है कि इस दूसरी सुनवाई में भी घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी भी हितबद्ध पक्षकार

ने भाग नहीं लिया । जाँच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना/ साक्ष्य तथा दिए गए तर्कों पर प्राधिकारी ने उस सीमा तक समुचित रूप से विचार किया है जिस सीमा तक वे वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक हैं ।

x) प्राधिकारी ने जाँच के दौरान प्रदत्त सूचना की पर्याप्तता और सत्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया । इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा उत्पादकों/निर्यातकों का संगत और आवश्यक समझी गई सीमा तक मौके पर सत्यापन किया । घरेलू उद्योग से क्षति के बारे में अतिरिक्त/पूरक ब्यौरे माँगे गए थे जो प्राप्त भी हो गए थे ।

xi) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इस जाँच परिणाम के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों/आधार का प्रकटन ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को किया गया है ओर उस पर प्राप्त टिप्पणियों पर इस अंतिम जाँच परिणाम में भी विचार किया गया है ।

xii) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण उसके द्वारा रखे गए सार्वजनिक फाइल के जरिए उपलब्ध किया और नियम 6(7) के अनुसार उसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण हेतु खुला रखा ।

xiii) सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की ईष्टतम उत्पादन लागत तथा उसे बनाने और बेचने की लागत निकालने के लिए लागत जाँच की गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।

xiv) जहाँ किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जाँच के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है अथवा उस अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डाली है वहाँ प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विश्लेषण दर्ज किया है ।

xv) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जाँच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी । संतुष्ट होने के उपरांत प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता प्रदान की है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है और इसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकार को नहीं किया है । जहाँ संभव हुआ है गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएँ ।

xvi) *** यह चिह्न इस अंतिम जाँच परिणाम में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

5. मूल जांच, निर्णायक समीक्षा जांच तथा वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच मे शामिल उत्पाद पेंटाएरीथ्रिटॉल है । अतः वर्तमान मध्यावधि समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद वही है जैसाकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांचों में अवधारित किया है ।

ग.1 आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के बारे में किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी या अनुरोध दायर नहीं किया है ।

ग.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. विचाराधीन उत्पाद पेंटाएरीथ्रिटॉल है जो एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग अल्किडरेजिन, रोजिन ईस्टरों, प्लास्टिसाइजरों, मुद्रण स्याही, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक हेतु स्टेबिलाइजरों, उपांतरित ड्राइंग तेलों, डेटोनेटरों, विस्फोटकों, भेषजों, प्रमुख तेलों और सिंथेटिक लुब्रिकेंटों के विनिर्माण में किया जाता है । पेंटाएरीथ्रिटॉल तकनीकी ग्रेड या नाइट्रेशन ग्रेड का हो सकता है और दोनों ही ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद तथा वर्तमान जांच के दायरे में शामिल किया गया है । पेंटाएरीथ्रिटॉल सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के सी.शु. उपशीर्ष सं0 2905.42 के अंतर्गत वर्गीकृत है ।

8. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में यह विनिर्दिष्ट है कि समान वस्तु का तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जो जांचाधीन उत्पाद के हर तरह से समान तथा समनुरूप है अथवा ऐसी किसी वस्तु के अभाव में ऐसी अन्य वस्तु से है जिसमें जांचाधीन उत्पाद से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हैं ।

9. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है । जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पेंटाएरीथ्रिटॉल में संबद्ध देश से आयातित पेंटाएरीथ्रिटॉल के समान विशेषताएं हैं । उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पेंटाएरीथ्रिटॉल नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयात किए जा रहे पेंटाएरीथ्रिटॉल के समान वस्तु है ।

घ. घरेलू उद्योग

10. यह याचिका मै0 कनोरिया कैमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि0 ने दायर की है । भारत में दो अन्य कंपनियां हैं जिन्होंने पेंटाएरीथ्रिटॉल की उत्पादन क्षमता सृजित की है जिनके नाम हैं - एशियन पेंट्स (इंडिया) लि0 तथा पर्सटॉप कैमिकल्स इंडिया (प्रा0) लि0 ।

घरेलू उद्योग के विचार

11. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि यद्यपि एशियन पेंट्स मुख्यतः आबद्ध खपत के लिए विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करती है तथापि उसने संगत अवधि में भारतीय बाजार में कुछ बिक्री की है । यह अनुरोध किया गया है कि आबद्ध खपत की सीमा तक एशियन पेंट्स के उत्पादन को इस आधार पर शामिल नहीं किया जाना चाहिए कि (i) ऐसी आबद्ध खपत पण्य बाजार में पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा

नहीं करती है और इसलिए यह कंपनी उस सीमा तक पाटन से अप्रभावित है और उसने वर्तमान यचिकाकर्ता के प्रभावित होने की सीमा तक प्रभावित न होने के कारण ही पूर्ववर्ती तथा वर्तमान जांच में सक्रियता से भाग नहीं लिया है और यह भी कि इस विषय पर डब्ल्यू टी ओ के निर्णय में यह उल्लेख नहीं है कि आबद्ध खपत को अलग नहीं रखा जा सकता, इसमें केवल यह उल्लेख है कि यदि "घरेल उद्योग" के आबद्ध तथा पण्य, दोनों प्रकार के बाजार हैं तो क्षति जांच एक प्रकार ही सीमित नहीं रखी जा सकती ।

12. यह भी अनुरोध किया गया है कि पर्सटॉप मुख्यतः संबद्ध वस्तु की आयातक है । यह भी उल्लेख किया गया है कि पर्सटॉप ने पूर्णतः आयात शुरू कर दिए हैं और जांच अवधि में उसने उत्पादन बंद कर दिया है और इसलिए पर्सटॉप को इस आधार पर घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता कि (i) कंपनी स्वयं संबद्ध देशों में से एक देश से प्रमुख आयातक है; (ii) कंपनी स्वीडन स्थित विदेशी उत्पादक से संबद्ध है; (iii) कंपनी ने अपना उत्पादन कम कर दिया और आयातों को बढ़ा दिया है; (iv) कंपनी ने अपने उत्पादन की बिक्री की और उत्पाद का अदल-बदल कर मिश्रित रूप में आयात किया है; (v) मूल जांच में सहयोग के समस्त दावों के बावजूद कंपनी ने प्राधिकारी को क्षति से संगत सूचना प्रदान नहीं की; (vi) कंपनी ने वर्तमान जांच में भी उत्तर नहीं दिया है ।

घ.2 निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

13. किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के आधार के बारे में कोई टिप्पणी या अनुरोध दायर नहीं किया है ।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. विभिन्न अनुरोधों की जांच करने के बाद यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता के उत्पादन का भारतीय उत्पादन (एशियन पेंट्स की आबद्ध खपत को शामिल करने और शामिल न करने के बाद भी) में एक बड़ा भाग है और इसलिए याचिकाकर्ता को नियमों के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" माना गया है । आगे यह नोट किया जाता है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) की अपेक्षानुसार घरेलू उद्योग है ।

ड. पाटन मार्जिन

15. नियम 9 क (1)(ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत, जब वह उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र मे खपत के लिए हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की विशिष्ट बाजारी स्थिति अथवा घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री से उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य इनमें से कोई एक होगा

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा-निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री तथा सामान्य लागत या लाभ के लिए उचित अभिवृद्धि के साथ उद्गम के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

ड.1 सामान्य मूल्य

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीनी ताइपेई के निर्यातकों ने कोई उत्तर दायर नहीं किया है । चूंकि उक्त देश के उत्पादक/निर्यातक द्वारा वास्तविक घरेलू बिक्री से संबंधित सूचना, तीसरे देश को हुए निर्यातों अथवा चीनी ताइपेई में उत्पादन लागत से संबंधित सूचना अथवा प्रश्नावली के अनुसार अन्य सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है । याचिकाकर्ता ने आई सी आई एस- एल ओ आर में प्रकाशित मेथानॉल की कीमत के आधार पर चीनी ताइपेई में सामान्य मूल्य के ब्यौरे और चीनी ताइपेई में उत्पादन लागत के अनुमान प्रस्तुत किए हैं । निर्यातकों की ओर से निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से किसी उत्तर के अभाव में प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6(8) के अनुसार उत्पादन लागत का अनुमान लगाते हुए किए गए परिकलन के आधार पर चीनी ताइपेई में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है । चीनी ताइपेई के लिए इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य 1,440 अम.डॉ. प्रति मी.टन है । सामान्यमूल्य का परिकलन कच्ची सामग्री अर्थात मेथानॉल की आई सी आई एस - एल ओ आर (यूरोप) कीमतें, कच्ची सामग्री के लिए सर्वोत्तम खपत कारकों और संगत अवधि के दौरान परिवर्तन लागत के सर्वोत्तम ज्ञात अनुमानों को अपनाकर किया गया है । परिकलित सामान्य मूल्य निकालने के लिए बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागत तथा उचित लाभ मार्जिन को इस प्रकार निर्धारित उत्पादन लागत में जोड़ा गया है ।

ड.2 निर्यात कीमत

17. प्राधिकारी ने आयातों के संबंध में आई बी आई एस के सौदेवार आंकड़ों पर विचार किया है । आई बी आई एस के आयात आंकड़ों को इस वजह से अपनाया गया है क्योंकि डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदत्त सूचना में डाई-पेंटा भी शामिल है जो विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं है, जबकि आई बी आई एस में मद विवरण के आधार पर सूचना दी गई है जिससे विचाराधीन उत्पाद की पहचान की जा सकती है ।

इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि आई बी आई एस की सूचना में प्रदर्शित मात्रा डी जी सी आई एंड एस से अधिक है । वस्तुतः पेंटाएरीथ्रिटॉल के लिए नियत न किए गए वर्गीकरणों के अंतर्गत भी पर्याप्त आयात सूचित किए गए हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि आई बी आई एस की सूचना में चीनी ताइपेई से पेंटाएरीथ्रिटॉल के 2,786 मी.टन. के आयात दर्शाए गए हैं । निर्यात कीमत आई बी आई एस द्वारा प्रदत्त सौदे वार सूचना से ली गई है । समुद्री भाड़े, विदेशी बीमा, अंतर्देशीय भाड़े, पत्तन व्यय, बैंक प्रभारों के लिए समायोजन करने के बाद कारखाना निर्यात कीमत की गणना 946 अम.डा. प्रति मी.टन की गई है ।

ड.3 पाटन मार्जिन

18. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम तथा पाटनरोधी नियमावली में यथानिर्धारित सामान्य मूल्य, नियात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांतों का उल्लेख नियमावली के अनुबंध-I में किया गया है । पाटन मार्जिन की गणना निर्यात कीमत के साथ सामान्य मूल्य की तुलना के आधार पर की गई है । ताईवान से संबद्ध वस्तु के निर्यातों के लिए पाटन मार्जिन 494.18 अम.डा. प्रति मी.टन निर्धारित किया जाता है ।

पाटन मार्जिन की गणना

	प्रति मी.टन
सामान्य मूल्य (अम.डा.)	****
निर्यात कीमत (अम.डा.)	****
पाटन मार्जिन (अम.डा.)	****
पाटन मार्जिन %	50-55
आयात मात्रा (मी.टन)	2.786

परिवर्तित परिस्थितियों का स्थायी स्वरूप और पाटन की संभावना

19. घरेलू उद्योग ने यह कहते हुए पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 11.2 और पाटनरोधी नियमावली का नियम 23 उद्धत किया है कि मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत सही है क्योंकि उन्होंने समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत की है यद्यपि उनका मत है कि ऐसी किसी अपेक्षा की परिकल्पना नियम 23 में नहीं की गई है ।

20. प्राधिकारी की पद्धति के अनुसार इस बात की जांच की गई थी कि क्या परिवर्तित परिस्थितियों को स्थायी स्वरूप की कहा जा सकता है अथवा क्या पाटनरोधी शुल्क की राशि बढ़ाए न जाने की स्थिति में संवर्धित पाटन की संभावना होगी । जांच के बाद यह पाया गया था कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है । इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान चीनी ताइपेई से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात काफी अधिक

बने रहे और क्षति अवधि के दौरान आयात की मात्रा काफी अधिक रही । यह भी अनुरोध किया गया है कि जांच अवधि के दौरान निर्यातकों ने भारत से इतर देशों को संबद्ध वस्तु का काफी अधिक निर्यात किया है । उपर्युक्त के मद्देनजर यह नोट किया जाता है कि परिवर्तित परिस्थितियां स्थायी स्वरूप की हैं और वर्तमान जांच के आधार पर शुल्क की राशि में परिवर्तन करने की जरूरत है ।

च. क्षति जांच की कार्य प्रणाली और क्षति तथा कारणात्मक संबंध की जांच

च.1 घरेलू उद्योग के विचार

21. घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किया है:-

i. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटित कीमत पर पर्याप्त मात्रा विद्यमान है ।

ii. क्षति पहुँचाने वाले पाटन की रोकथाम करने के लिए मौजूदा उपाय अब काफी नहीं है ।

iii. संबद्ध देश से निर्यात कीमत अत्यधिक पाटित स्तर पर है ।

iv. पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री तथा क्षमता उपयोग में कुछ सुधार हुआ है । तथापि, लाभ/हानि में वर्ष 2007-08 तक सुधार प्रदर्शित हुआ और उसके बाद वर्ष 2008-09 में इतनी अधिक गिरावट आनी शुरू हुई कि जांच अवधि में घाट़ा उठाना पड़ा । कर एवं ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय सभी में यही प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है ।

v. संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में अत्यधिक कटौती हो रही है ।

vi. संबद्ध देश से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान अपनी कीमतें तेजी से घटाने के लिए बाध्य हुआ । अतः इस अवधि के दौरान कीमत ह्रास हो रहा था ।

vii. घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है ।

viii. घरेलू उद्योग की मालसूची में गिरावट आई और जांच अवधि में वृद्धि हुई ।

ix. कीमत मापदण्डों अर्थात नकद प्रवाह, लाभ, निवेश पर आय आदि तथा बाजार हिस्से के संबंध में घरेलू उद्योग ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है । कुल मिलाकर घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक रही थी ।

x. संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु की विशाल उत्पादन क्षमताओं और उनके निर्यातोन्मुखीकरण या भारत में संबद्ध वस्तु की बढ़ती हुई माँग पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले पाटित आयातों में वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए पाटनरोधी शुल्क की राशि की समीक्षा करना और उसमें वृद्धि करना आवश्यक है ।

xi. पाटनरोधी शुल्क की राशि में वृद्धि न किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग के समक्ष संबद्ध देशों से आयातों का और बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा ।

xii. प्रकटन विवरण के उत्तर में घरेलू उद्योग ने अपने सभी अनुरोध दोहराए हैं और प्राधिकारी से नियत आधार पर भारतीय रूपए में शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ।

22. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न मापदण्ड सामूहिक और संचयी रूप से यह सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

च.2 निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

23. किसी भी निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है ।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी ने आई बी आई एस के आंकड़ों के अनुसार आयात आंकड़ों पर विचार किया है क्योंकि आई बी आई एस द्वारा प्रकाशित मात्रा डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों से अधिक है । परवर्ती पैराग्राफों में प्राधिकारी ने क्षति मापदण्डों को नियमानुसार विश्लेषण किया है । हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी । संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता प्रदान की है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है । जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपान्तरण उपलब्ध कराएं ।

पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

25. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है । पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध - II (ii) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

> "पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।"

मांग का निर्धारण और बाजार हिस्सा

26. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एशियन पेंट्स की आबद्ध खपत को शामिल करने और शामिल न करने, दोनों बातों पर विचार करने के बाद मांग का निर्धारण घरेल उद्योग की बिक्री मात्रा, भारतीय उत्पादकों की बिक्री और समस्त स्रोतों से भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा के रूप में किया है । इस प्रकार निर्धारित मांग निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है । यह देखा जा सकेगा कि मंदी के प्रभाव के कारण वर्ष 2008-09 में आई गिरावट के बाद जांच अवधि में देश में उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है ।

इकाईः मी. टन

	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि (जन.-दिस,09)
मांग- मी. टन (आबद्ध उपयोग को छोड़कर)				
घरेलू उद्योग की बिक्रियाँ	5,750	6,117	5,401	6,384
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियाँ	7,479	8,342	5,092	2,125
ताईवान से आयात-मध्यावधि समीक्षा	260	1,252	247	2,786
संबद्ध देश से आयात-निर्णायक समीक्षा	1,296	1,588	2,496	1,316
संबद्ध देशों से आयात-नई जांच	256	2,900	3,575	6,980
अन्य देशों से आयात	1,428	1,136	378	583
कुल मांग	**16,469**	**21,335**	**17,189**	**20,175**
प्रवृति	*100*	*130*	*104*	*122*

मांग- मी. टन (आबद्ध उपयोग को छोड़कर)	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि (जन.-दिस,09)
घरेलू उद्योग की बिक्रियाँ	5,750	6,117	5,401	6,384
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियाँ	10,230	11,219	7,467	5,125
ताईवान से आयात-मध्यावधि समीक्षा	260	1,252	247	2,786
संबद्ध देश से आयात-निर्णायक समीक्षा	1,296	1,588	2,496	1,316
संबद्ध देशों से आयात-नई जांच	256	2,900	3,575	6,980
अन्य देशों से आयात	1,428	1,136	378	583
कुल मांग	**19,220**	**24,212**	**19,564**	**23,175**
प्रवृति	*100*	*126*	*102*	*121*

आबद्ध को छोड़कर मांग में बाजार हिस्सा (%)	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि (जन.-दिस,09)
घरेलू उद्योग	34.92	28.67	31.42	31.64
अन्य भारतीय उत्पादक	45.41	39.10	29.62	10.53
ताईवान से आयात-मध्यावधि समीक्षा	1.58	5.87	1.44	13.81
संबद्ध देशों से आयात-निर्यातक समीक्षा	7.87	7.44	14.52	6.53
संबद्ध देशों से आयात-नई जांच	1.55	13.59	20.80	34.60
अन्य देशों से आयात	8.67	5.32	2.20	2.89
आबद्ध को छोड़कर मांग में बाजार हिस्सा (%)	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि (जन.-दिस,09)
घरेलू उद्योग	29.92	25.26	27.61	27.55
अन्य भारतीय उत्पादक	53.22	46.34	38.17	22.11
ताईवान से आयात-मध्यावधि समीक्षा	1.35	5.17	1.26	12.02
संबद्ध देशों से आयात-निर्यातक समीक्षा	6.74	6.56	12.76	5.68
संबद्ध देशों से आयात-नई जांच	1.33	11.98	18.27	30.12
अन्य देशों से आयात	7.43	4.69	1.93	2.52

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है । वर्ष 2008-09 में घरेलू उद्योग की बिक्री में अत्यधिक गिरावट आई थी, जो वैश्विक मंदी के कारण थी । तत्पश्चात जांच अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई है । तथापि, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई थी; जबकि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई थी ।

2295 GI/11-4

कीमत प्रभाव

28. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, नियमों के अनुबंध-II (ii) में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :-

"जैसाकि नियम 18 के उप-नियम (2) में उल्लेख किया गया है मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस बात की जांच करनी आवश्यक समझी जाती है कि क्या भारत में समान वस्तु के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों से मूल्यों में पर्याप्त गिरावट आई है अथवा क्या अन्यथा ऐसे आयातों का उद्देश्य मूल्यों को काफी हद तक कम करना है अथवा ऐसी मूल्यवृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गयी होती ।"

29. एक समीक्षा जांच में इस बात की जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों की कीमतों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है अथवा क्या शुल्क में वृद्धि न किए जाने की स्थिति में कीमत प्रभाव की पुनरावृति होने की संभावना होती है ।

	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच की अवधि (जन-दिस,09)
पहुँच मूल्य-पाटनरोधी शुल्क के बिना	रूपए/मी.टन	88,327	83,324	57,715	55,353
सूचीबद्ध	प्रवृति	*100*	*94*	*65*	*63*
पहुँच मूल्य-पाटनरोधी शुल्क सहित	रूपए/मी.टन	97,547	92,544	66,935	64,573
सूचीबद्ध	प्रवृति	*100*	*95*	*69*	*66*
निवल बिक्री वसूली	रूपए/मी.टन	70,273	80,588	84,166	67,473
सूचीबद्ध	प्रवृति	*100*	*115*	*120*	*96*
कीमत कटौती-पाटनरोधी शुल्क के बिना	रूपए/मी.टन	(18,054)	(2,736)	26,451	12,120
सूचीबद्ध	प्रवृति	*(100)*	*(15)*	*147*	*67*
कीमत कटौती-पाटनरोधी शुल्क सहित	रूपए/मी.टन	-27,274	-11,956	17,231	2,900
सूचीबद्ध	प्रवृति	*(100)*	*(44)*	*63*	*11*
कीमत कटौती-पाटनरोधी शुल्क के बिना	%	-26	-3	31	18
प्रवृति	प्रवृति	*(100)*	*(13)*	*122*	*70*
कीमत कटौती-पाटनरोधी शुल्क सहित	%	(38.81)	(14.84)	20.47	4.30
कीमत कटौती-पाटनरोधी शुल्क सहित	प्रवृति	*(100)*	*(38)*	*53*	*11*
क्षति रहित कीमत अमरीकी डॉलर					*1697.14*
कम कीमत पर बिक्री %					*565.26*

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के जारी रहते हुए भी घरेलू उद्योग में वस्तुओं पर कीमत कटौती तथा कम कीमत पर उनकी बिक्री जारी है ।

31. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क को लगातार जारी रखे जाने के औचित्य की निगरानी की जानी अपेक्षित है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी निर्यातक ने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि नीचे दी गई तालिका के अनुसार शुल्क संघटक के निर्धारण हेतु पाटन मार्जिन के साथ तुलना के प्रयोजनार्थ क्षति मार्जिनों का पुनः मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है:-

	इकाई	
एनआईपी	रू./मी.टन	82678
पहुँच लागत	रू./मी.टन	55,228
क्षति मार्जिन	भारतीय रूपए	27450
क्षति मार्जिन अम.डॉलर में	अम0 डॉलर	561.31
क्षति मार्जिन, एनआईपी के प्रतिशत के रूप में		33.20

32. इसके अलावा संबद्ध देश से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर मात्रात्मक एवं कीमत प्रभाव तथा परिणामी प्रभाव का आकलन करने के लिए आईबीआईएस के सौदेवार आंकड़ों पर विश्वास किया है ।

33. कीमत अवमूल्यन तथा ह्रास

विनिर्दिष्टयां	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि (जनवरी-दिसम्बर 09)
बिक्री की लागत	रू./मी.टन	70,308	66,193	75,934	70,793
आधार वर्ष की तुलना में अंतर	सूचीबद्ध	100	94	108	101
निवल बिक्री वसूली	रू./मी.टन	70,273	80,588	84,166	67,473
आधार वर्ष की तुलना में अंतर	सूचीबद्ध	100	115	120	96

34. घरेलू उद्योग की लागत एवं कीमत संरचना तथा संबद्ध देश से आयातों के पहुँच मूल्य से यह प्रदर्शित होता है कि आधार वर्ष की तुलना में लागत में लगभग ***% की वृद्धि हुई है जबकि कीमतों में 4% तक की गिरावट आई है । जिस कीमत पर भारतीय उत्पादकों द्वारा सामग्री की बिक्री की जा रही है उससे निवेश पर समुचित आय प्राप्त नहीं होती है और वह घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम है । यह नोट किया गया है कि यद्यपि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक गिरावट (2800 रूपए प्रति मी. टन) आई है, तथापि समग्र क्षति अवधि के दौरान उत्पादन की लागत में मामूली वृद्धि (486 रूपए प्रति मी. टन) हुई है । अतः प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस प्रकार बाजार में आयातों के कारण कीमत ह्रास हो रहा है ।

घरेलू उद्योग से संबंधित अन्य आर्थिक मानदण्ड

35. नियमों के अनुबंध-II के अनुसार क्षति के निर्धारण में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वास्तविक जांच शामिल होगी । इसके अलावा नियमों के अनुबंध-II (iv) में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

'संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संबद्ध आर्थिक कारकों का एक मूल्यांकन करना और उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले संकेतकों का मूल्यांकन करना शामिल होगा,, इसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्राप्ति या क्षमता का उपयोग: घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा: नकद प्रवाह, सामान, रोजगार, मजदूरी वृद्धि पूंजीगत निवेश को बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं ।

वास्तविक एवं संभावित उत्पादन, क्षमता तथा उपयोग, बिक्री

36. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्री मात्रा से संबंधित सूचना निम्नानुसार है :-

विनिर्दिष्टियां	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि (जन-दिसम्बर,209)
संस्थापित क्षमता	मी.टन	6,000	6,000	6,000	6,000
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*100*	*100*
उत्पादन	मी.टन	6,267	6,284	6,175	6,379
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	100	100	99	102
क्षमता उपयोग	%	104.44	104.74	102.91	106.32
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*99*	*102*
घरेलू बिक्रिया	मी.टन	5,750	6,117	5,401	6,384
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*106*	*94*	*111*
आबद्ध खपत सहित मांग	मी.टन	19,220	24,212	19,564	23,175
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*126*	*102*	*121*

37. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री तथा क्षमता उपयोग में क्षति अवधि के दौरान सुधार प्रदर्शित हुआ था ।

लाभ, निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह

38. घरेलू उद्योग के लाभ, निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह की निम्नानुसार जांच की गई है:-

विनिर्दिष्टयां	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि (जन-दिस,09)
कर पर्वू लाभ	रू./लाख	18.69	902.82	457.02	(135.27)
प्रवृति	सूचीबद्ध	*100*	*4,831*	*2,445*	*(724)*
ब्याज एवं कर पूर्व लाभ	रू./लाख	96.00	989.86	530.75	(139.47)
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	1,031	553	(145)
नियोजित पूंजी पर आय (एनएफए आधार पर)	%	3.92	37.27	18.99	(3.08)
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	950	484	(78)
नकद लाभ	रू./लाख	94.43	988.50	540.02	(41.16)
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	1,047	572	(44)

39. उपर्युक्त आंकड़ों से यह प्रदर्शित होता है कि पाटित स्रोतों से होने वाले आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में लाभप्रदता में सुधार हुआ था । तथापि जांच अवधि के दौरान स्थिति में अत्यधिक खराब हो गई । नकद प्रवाह तथा निवेश पर आय के संबंध में भी यही प्रवृति देखने को मिलती है । प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि यद्यपि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी सुधार हुआ था तथापि जांच अवधि के दौरान उसमें गिरावट आई है और वह अपनी पूर्व स्थिति में वापस आने में सफल नहीं रहा है ।

रोजगार तथा वेतन

40. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद बहु-स्थानी कम्पनी है; अतः घरेलू उद्योग के रोजगार स्तरों पर पाटन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है । घरेलू उद्योग के रोजगार तथा वेतन के स्तरों की स्थिति निम्नानुसार है:-

विनिर्दिष्टियाँ	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि (जन-दिस,09)
रोजगार (जनशक्ति)	संख्या	59	64	66	67
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	108	112	114
वेतन	रू./लाख	232.13	269.56	296.09	324.79
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	116	128	140

41. उपर्युक्त बातों के आधार पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि घरेलू उद्योग का रोजगार स्तर लगभग स्थिर रहा है जबकि वेतन के स्तर में सकारात्मक प्रवृति प्रदर्शित हुई है ।

उत्पादकता में वास्तविक एवं संभावित गिरावट

42. घरेलू उद्योग की उत्पादकता संबंधी आंकड़े निम्नानुसार है :-

विनिर्दिष्टयां	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि (जन-दिसम्बर.09)
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी.टन	106	98	94	95
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	92	88	90
उत्पादकता प्रति दिन	मी.टन	17.41	17.46	17.15	17.72
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	99	102

43. उपर्युक्त तालिका के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान गिरावट आई थी, परंतु जांच अवधि में इसमें सुधार आया है । तथापि, जांच अवधि में प्रति कर्मचारी उत्पादकता का स्तर यद्यपि 2008-09 की तुलना में बेहतर था, परंतु यह वर्ष 2006-07 में उत्पादकता के स्तर से कम था ।

वस्तुसूचियां

44. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की वस्तुसूची के स्तर की जांच की है, जो नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :-

विनिर्दिष्टयां	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच अवधि (जन-दिस,09)
औसत स्टॉक	मी.टन	627	150	246	521
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	24	39	83
बिक्री, दिनों की संख्या के संदर्भ में औसत स्टॉक	दिनों की संख्या	39	9	16	29
प्रवृति	सूचीबद्ध	*100*	*23*	*42*	*75*

45. उपर्युक्त के आधार पर यह नोट किया गया है कि वर्ष 2007-08 में घरेलू उद्योग के वस्तुसूची स्तरों में गिरावट आई थी तथा वर्ष 2008-09 तथा जांच की अवधि में उसमें वृद्धि हुई थी । वस्तुतः घरेलू उद्योग के वस्तुसूची स्तर उल्लेखनीय बने रहे । घरेलू उद्योग द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वस्तुसूची के विशाल स्टॉक को बनाए रखने में समर्थ नहीं है और उन्हें बाजार में किसी भी मूल्य पर उत्पाद को बेच कर उनका निपटान करना होगा ।

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

46. मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस बात की जांच करनी आवश्यक समझी जाती है कि क्या भारत में समान वस्तु के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों से मूल्यों में पर्याप्त गिरावट आई है अथवा क्या अन्यथा ऐसे आयातों का उद्देश्य मूल्यों को काफी हद तक कम करना है अथवा ऐसी मूल्य वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गयी होती । घरेलू बाजार पर आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान

आयात कीमतों का आकलन किया है तथा यह पाया है कि जांच अवधि में संबंध देश से प्रति मी. टन आयात का पहुंच मूल्य निवल बिक्री कीमत तथा क्षति रहित कीमत से कम है । घरेलू उद्योग तथा प्रतिस्पर्धी कीमत से कम है । घरेलू उद्योग तथा प्रतिस्पर्धी प्रतिस्थापनीय उत्पादों की कीमतों में प्रतिस्पर्धा के कारण लागत संरचना में अंतर, यदि कोई हो, की जांच की गई है ताकि पाटित आयातों से इतर ऐसे कारकों का विश्लेषण किया जा सके जो घरेलू बाजार की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं । प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि इस उत्पाद का कोई व्यवहार्य अनुकल्प नहीं है तथा कीमतें पाटित कीमतों के कारण प्रभावित हुईं थी ।

47. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने करों एवं शुल्कों, रिबेट छूट भाड़ा तथा परिवहन को छोड़कर पर बिक्री कीमत पर विचार करके घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली का निर्धारण किया है । 1% पहुँच प्रभारों तथा लागू मूल सीमाशुल्क के साथ भारित औसत सीआईएफ आयात कीमतों पर विचार करके आयात की पहुँच कीमत का निर्धारण किया गया है । इसके अलावा लागू पाटनरोधी शुल्क को शामिल करने के बाद निर्धारित पहुँच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली के साथ की गई है । प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि लागू पाटनरोधी शुल्क को जोड़ने के बाद भी जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली, संबद्ध देश से आयातों के पहुँच मूल्य से कम है जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कमी होती है । पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत कटौती का मार्जिन 15-25% था जबकि पाटनरोधी शुल्क के साथ 4-10% था ।

48. कम कीमत पर बिक्री, क्षति के आकलन का महत्वपूर्ण संकेतक है; अतः प्राधिकारी ने कम कीमत पर बिक्री की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है और उसकी तुलना पहुँच मूल्य के साथ की है । जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत पर समुचित रूप से विचार करके घरेलू उत्पादक के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया गया है । यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान प्रति मी. टन आयात का पहुँच मूल्य, संबद्ध देश के संबंध में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत से कम है । कम कीमत पर बिक्री का मार्जिन अत्यधिक है ।

वृद्धि

49. घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानदण्डों की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि उत्पादन तथा बिक्री जैसे मात्रात्मक मानदण्डों में सुधार प्रदर्शित हुआ है; घरेलू उद्योग के विभिन्न कीमत मानदण्डों में नकारात्मक प्रवृति प्रदर्शित हुई है जो पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने के बावजूद है । परिणामस्वरूप प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक बनी रही ।

पूंजी जुटाने की क्षमता

50. घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कम्पनी है । आगे और निवेश करने की उनकी क्षमता इस मामले में एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है । तथापि यद्यपि मौजूदा स्रोत से पाटन जारी रहता है तो पूंजी जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता को गहरी क्षति पहुँचेगी ।

अन्य ज्ञात कारक

51. जांच अवधि के दौरान, वर्तमान जांच के संबद्ध देश तथा ऐसे अन्य देशों से आयात किए गए है जिनके खिलाफ जांच चल रही है । इन देशों से इतर देशों से किए जाने वाले आयातों की कीमत तुलनात्मक रूप से नग्नय है ।

मांग में कमी तथा/अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

विनिर्दिष्टियाँ	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	जांच की अवधि (जन-दिस., 09)
आबद्ध को छोड़कर कुल मांग	मी.टन	16,469	21,335	17,189	20,175
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*130*	*104*	*122*
आबद्ध सहित कुल मांग	मी.टन	19,220	24,212	19,564	23,175

52. आंकड़ों से यह प्रदर्शित होता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में वर्ष 2008-09 में गिरावट आई थी तथा जांच अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई थी । मांग में गिरावट को घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं माना जा सकता है । क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की समग्र मांग में महत्वपूर्ण सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है । यह भी नोट किया गया है कि खपत की पद्धति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन प्राधिकारी की जानकारी में नहीं आया है । किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने भी इस संबंध में कोई निवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां तथा उनके बीच प्रतिस्पर्धा

53. संबद्ध वस्तुएं मुक्त रूप से आयात योग्य है तथा घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतिय मौजूद नहीं है । घरेलू उद्योग एक दूसरे के साथ और साथ ही संबद्ध वस्तुओं की पहुँच कीमत के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं । घरेलू उद्योग की कीमत का निर्धारण संबद्ध वस्तुओं की पहुँच कीमत के आधार पर किया जाता है । इसके अलावा भारतीय बाजार में अन्य स्रोतों से काफी मात्रा में आयात किया जाता है ।

प्रौद्योगिकी का विकास तथा निर्यात निष्पादन

54. यह नोट किया गया है कि जांच से यह प्रदर्शित नहीं होता है कि प्रौद्योगिकी में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची है ।

घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात

55. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निर्यात केवल 140 मी. टन रहा था और वह उनके उत्पादन का लगभग 2% है । इसके अलावा, वर्तमान क्षति आकलन के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा घरेलू एवं निर्यात बाजार को अलग-अलग किया गया है । अतः निर्यातों से उसके समग्र निष्पादन के प्रभावित होने की संभावना नहीं है ।

क्षति की मात्रा एवं क्षति मार्जिन

56. क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों के पहुँच मूल्य से की गई है । क्षति मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:-

जाँच अवधि (जन-दिसम्बर,2009)	चीनी ताइपेई से पेंटाराइथ्रिटॉल
सभी उत्पादक एवं निर्यातक	कीमत (अम.डॉलर) प्रति मी. टन
पहुँच मूल्य (अम.डॉलर प्रति मी. टन)	1129.31
क्षति रहित कीमत (अम.डॉलर प्रति मी. टन)	1690.91
क्षति मार्जिन (अम.डॉलर प्रति मी. टन)	561.31
क्षति मार्जिन (आईएनआर)	27,450
क्षति रहित कीमत के % के रूप में क्षति मार्जिन	33.20%

57. प्राधिकारी नोट करते है कि यद्यपि अन्य सूचीबद्ध ज्ञात कारकों से यह प्रदर्शित नहीं होता है कि घरेलू उद्योग को इन कारको से क्षति हुई है, तथापि निम्नलिखित मानदण्डों से यह प्रदर्शित होता है कि चीनी ताइपेई से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है:-

(क) चीनी ताइपेई से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुँच कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थीं । कीमत कटौती के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं ने बड़ी मात्रा में आयातों की खरीद की है जिसके कारण घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है । अन्य देशों (जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं हैं और जो नई जाँच के अधिन नहीं हैं) से आयात नग्नय है ।

(ख) संबद्ध आयातों के कारण भारतीय बाजार में कम कीमत पर बिक्री हुई है । इसके परिणामस्वरूप आयात की निम्न कीमतों के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में वृद्धि करने में असमर्थ है ।

(ग) घरेलू उद्योग पूर्व में उठाई गई क्षति के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अपनी कीमतों में वृद्धि करने में असमर्थ रहे हैं । संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण कीमत अवमूल्यन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को लगातार वित्तीय घाटा हो रहा है और उसके कारण निवेश पर नकारात्मक आय तथा नकारात्मक नकद लाभ निरंतर जारी है । अतः लाभ, निवेश पर आय तथा नकद लाभ की निरंतर प्रतिकूल स्थिति बाजार में पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण है ।

58. अतः प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पाटनरोधी नियम के नियम 11 तथा पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग को चीनी आयातों के कारण लगातार क्षति हुई है ।

भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

59. प्राधिकारी मानते है कि पाटनरोधी शुल्क लागू करने से भारत में उत्पाद की कीमत का स्तर प्रभावित हो सकता है । तथापि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा, पाटनरोधी उपायों के कारण कम नहीं होगी । इसके विपरीत पाटनरोधी शुल्क लागू करने से पाटन की पद्धतियों द्वारा अर्जित किए गए अनुचित लाभ को समाप्त किया जा सकेगा, घरेलू उद्योग में गिरावट को रोका जा सकेगा और इससे संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं हेतु व्यापक विकल्पों की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता मिलेगी ।

60. प्राधिकारी नोट करते है कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है । ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में होगा । पाटनरोधी उपायों को लागू करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयात बाधित नहीं होंगे, अतः उपभोक्ताओं हेतु उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी ।

अंतिम जांच परिणाम

61. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदत्त सूचना और किए गए अनुरोधों तथा उपर्युक्त जांच परिणाम में दर्ज किए गए अनुसार हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों अथवा अन्यथा के जरिए प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा वर्तमान एवं संभावित पाटन तथा क्षति की स्थिति और पाटन तथा क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:-

(i) भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रही है और चीनी ताइपेई से आयातित संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन अत्यधिक तथा न्यूनतम सीमा से ज्यादा है । मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध वस्तु का भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात जारी है ।

(ii) घरेलू उद्योग को मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद वास्तविक क्षति जारी है । इसके अलावा, वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की राशि न बढ़ाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति में वृद्धि होने की संभावना है ।

62. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि उत्पाद का पाटित कीमतों पर निर्यात जारी है और घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है तथा ताइवान से पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वर्तमान राशि अपर्याप्त है, प्राधिकारी का मत यह है कि संबद्ध देश से हुए आयातों के संबंध में उपाय की राशि में वृद्धि करना अपेक्षित है । अतः प्राधिकारी यह आवश्यक समझते हैं और चीनी ताइपेई से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की राशि में वृद्धि करने की सिफारिश करते हैं ।

63. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके । क्षति की मात्रा का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत के साथ की गई है । तदनुसार, चीनी ताईपेई के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कालम 9 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है ।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	उप-शीर्ष	विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	2905.42	पेंटाएरीथ्रिटॉल	कोई	चीनी ताईपेई	चीनी ताईपेई	कोई	कोई	24,167	मी.टन	भा. रूपए
2.	2905.42	पेंटाएरीथ्रिटॉल	कोई	चीनी ताईपेई	पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन देश/देशों अथवा भू-भाग से इतर कोई अन्य देश	कोई	कोई	24,167	मी.टन	भा. रूपए
3.	2905.42	पेंटाएरीथ्रिटॉल	कोई	कोई	चीनी ताईपेई	कोई	कोई	24,167	मी.टन	भा. रूपए

64. इस सिफारिश से केन्द्र सरकार के आदेशों के खिलाफ उत्पन्न होने वाली कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी ।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2011

Final Findings

(Mid-Term Review)

Sub. : Mid-term review investigation with regard to the anti-dumping duties in force involving the imports of Pentaerythritol from Chinese Taipei - Final Findings.

A. BACKGROUND OF THE CASE

No. 15/10/2010-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended (hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended (hereinafter referred to as Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) initiated a midterm review anti-dumping investigation on 22nd June, 2010 into alleged dumping of Pentaerythritol originating in or exported from Chinese Taipei. The original investigation was initiated on 22nd November, 2001 against imports of Pentaerythritol originating in and exported from Chinese Taipei, Canada and Japan. The provisional anti-dumping duty was imposed on imports of Pentaerythritol from all the three countries *vide* Customs notification No. 33/2002-CUS, dated 27th March, 2002 on the basis of the preliminary findings of the Authority dated 15th February, 2002. The final findings was notified *vide* notification dated 8th October, 2002 and the Department of Revenue imposed definitive anti-dumping duties on the subject goods from above subject countries *vide* notification No. 119/2002-CUS, dated 31st October, 2002. The Authority initiated sunset review investigations after the expiry of five years on 15th March, 2007. The sunset review final findings were notified *vide* notification dated 5th March, 2008 and the Department of Revenue extended definitive anti-dumping duties on the subject goods from Chinese Taipei and Japan *vide* notification No. 55/2008-CUS, dated 28th April, 2008.

2. And whereas the Rules require the Authority to review, from time to time, the need for continued imposition of Anti-Dumping Duty and if it is satisfied, on the basis of positive information received by it that there is no justification for continued imposition

of such duty, the authority may recommend to the Central Government for its withdrawal. In terms of the above provision, the Designated Authority, received an application filed by M/s. Kanoria Chemicals & Industries Ltd. substantiating the need for midterm review of the anti dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from Chinese Taipei and requested for enhancement / revision of the anti dumping duty imposed on subject goods. The domestic industry, amongst the various grounds submitted by them, submitted that existing measure is no longer sufficient to counteract the dumping which is causing injury and the domestic industry has not been able to improve its performance in spite of the existing anti-dumping duties. It was added that once injurious dumping is addressed, the domestic industry should have been in a position to improve its performance to a reasonable level. The domestic industry also contended that profitability of the domestic industry is suffering adversely as a result of price undercutting being caused by the imports, in spite of the existing anti dumping duties. It was further submitted by the domestic industry that significant volumes of imports was taking place at dumped prices in spite of anti dumping duty being in force. It was also contended that the imports from Chinese Taipei are causing significant price undercutting and price underselling even after imposition of the current anti dumping duties.

3. This change in circumstances was considered appropriate to initiate a review. Having decided to review the final findings notified vide Notification No 15/7/2006-DGAD dated 5th March 2008, the Authority initiated the investigations in terms of the Rule 23, to review the continued imposition of anti dumping duty whether continued imposition of the duty on imports of Pentaerythritol originating in or exported from Chinese Taipei is sufficient to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were enhanced.

B. Procedure

4. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

i) After initiating the review, the Authority sent questionnaires, along with the initiation notification, to all known producers and/or exporters in the subject country in accordance with the Rule 6(4) to elicit relevant information.

S.N.	Name of Company
1.	M/s Lee Chang Yung Chemical Industry Corporation
2.	Taipei Plus Chemical Ind. Company
3.	Parellachemicalo Ltd.

None of these parties however filed any response to questionnaire in the form and manner prescribed. In fact, no response was received from any of the exporters.

ii) The Chinese Taipei Cultural centre in New Delhi was informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers in their country to respond to the questionnaire within the prescribed time.

iii) Questionnaires were sent to known importers, consumers, industrial users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4).

S.N.	Name of Company	S.N.	Name of Company
1.	M/s. Vibgyor Paints Pvt. Ltd., Mumbai	17.	M/s. H.R. Trading Co., Pvt. Ltd., Mumbai
2.	M/s. Sanman Trade Impex Pvt. Lted., Mumbai	18.	M/s. Leo Chemoplast Pvt., Ltd., Mumbai
3.	M/s. Saraf Chemicals Ltd., Mumbai	19.	M/s. Samir Dye Chem. Mumbai
4.	M/s. Alcon Enterprises, Kolkata	20.	M/s. Berger Paints India Ltd., Mumbai
5.	M/s. A.V.M. Sales Pvt. Ltd., Kolkata	21.	M/s. Century Inka Limited, Mumbai
6.	M/s. Ciba Speciality Chemicals (India) Ltd., Mumbai	22.	M/s. Addison Paints & Chemicals, Chennai
7.	M/s. Decro Paints, Hyderabad	23.	M/s. Coates of India Ltd., Mumbai
8.	M/s. Dujodwala Paper Chemicals Ltd., Raigad	24.	M/s. Hardcastle&WaulMafg. Co., Ltd., Mumbai
9.	M/s. Gargi Industries Prop. Navi Mumbai	25.	M/s. GoodlassNerolac Paints Ltd., Mumbai
10.	M/s. Mitsu Industries Ltd., Mumbai	26.	M/s. Hero Dye Chem Industries, Mumbai
11.	M/s. Resins &Pigmenhts, Pithampur (MP)	27.	M/s. Hindustan Inks & Resins Ltd., Mumbai
12.	M/s. ChemiColour Agency, Kolkata	28.	M/s. IVP Ltd., Thane
13.	M/s. Shalimar Paints Ltd., Hawra	29.	M/s. Jenson & Nicholson (I) Ltd., Kolkata
14.	M/s. Dujodwala Paper Chemicals, Mumbai	30.	M/s. Paras Dyes & Chemicals, Mumbai
15.	M/s. Eastcorp International, Kolkata	31.	M/s. PerstorpAegies Chemicals Pvt. Ltd., Valsad
16.	M/s. GarwarePolyster Ltd., Mumbai	32.	M/s GoodlassNerolac Paint Ltd., Mumbai

None of these parties however filed any response to questionnaire in the form and manner prescribed.

iv) Investigation was carried out for the period starting from 01.01.2009 to 31.12.2009 (POI). However, injury examination was conducted for a period from 2006-07 to the end of POI.

v) Request was made to the Director General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata to arrange details of imports of subject goods in India for the period of investigation and preceding three years. Information was received from the DGCI&S. However, the DGCIS report has not been relied upon in this investigation as volumes reflected by IBIS are higher than DGCI&S. It has been submitted by the domestic industry that IBIS reports the information by item description and covers the product under consideration reported under other classifications as well. Information was also called from other producers of subject goods in the form and manner of domestic industry pro forma questionnaire. However, no information in the form and manner of domestic industry pro forma was received.

vi) The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known producers and/or exporters and the Chinese Taipei Cultural Centre in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential application was also made available for other interested parties, wherever requested.

vii) No response to the initiation notification was received from any exporter or producer of the subject goods in Chinese Taipei .

viii) The Authority held a oral hearing on 18th January, 2011 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6(6), which was attended by M/s. Kanoria Chemicals & Industries Ltd. (through their consultants). The parties attending the oral hearing were advised to file written submissions of the information presented orally. The interested parties were allowed to present rebuttal arguments on the views/information presented by other interested parties. The Designated Authority has considered submissions received from the interested parties appropriately.

ix) Subsequently, an email was received from one exporter from Chinese Taipei who had not submitted any arguments/response to the Authority since the initiation of the investigations. In the email, a request was made to postpone the public hearing as they received the letter of public hearing very late. Later, a letter was also received from Chinese Taipei cultural centre voicing their concern about the fact that one of their exporters had received the public hearing invitations very late.

The Authority held another public hearing on 30th March 2011 to provide another opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6(6). It is noted that in this second hearing also, none of the interested parties except the domestic industry participated in the public hearing.

Arguments raised and information/evidence provided by the interested parties during the course of the investigation, to that extent the same are considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority.

x) The Authority during the course of investigation satisfied itself as to the adequacy and accuracy of the information supplied. For that purpose, the Authority conducted on-the-spot verification of the domestic industry and producers/exporters to the extent considered relevant and necessary. Additional/ supplementary details regarding injury were sought from the domestic industry, which were also received.

xi) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings have been disclosed to known interested parties and comments received on the same have also been considered in this final findings.

xii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by the interested parties through a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

xiii) Cost investigations were conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicant so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xiv) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its analysis the basis of the facts available.

xv) Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xvi) **** in the final findings represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:

5. The product involved in the original investigation, the sunset review investigation and in the present midterm review investigation is Pentaerythritol. Thus, the product under consideration in the present midterm review is the same as has been held by the Designated Authority in the previous investigations.

C.1 VIEWS OF THE IMPORTERS, CONSUMERS, EXPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

6. None of the importers, consumers, exporters and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to product under consideration, and like articles.

C.2 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

7. The product under consideration is Pentaerythritol, an organic compound which finds application in manufacture of Alkyd Resin, Rosin Esters, Plasticizers, Printing Inks, Synthetic Rubber, Stabilizers for Plastics, Modified Drying Oils, Detonators, Explosives, Pharmaceuticals, Core Oils and Synthetic Lubricants. Pentaerythritol can be of technical grade or nitration grade and both grades are included within the scope of product under consideration and present investigation. Pentaerythritol is classified under Customs sub heading No 2905.42 under chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975.

8. Rule 2(d) of the Anti-dumping Rule specifies that like articles mean an article, which is identical and alike in all respects to the product under investigation or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the articles under examination.

9. The petitioner claimed that the goods produced by them are like articles to the goods originating in or exported from the subject country. The Authority after examination notes that pentaerythritol produced by domestic industry has characteristics, which are similar to those of pentaerythritol imported from the subject country. In view of the above the Authority holds that pentaerythritol produced by the domestic industry are like articles to pentaerythritol being imported from the subject country within the meaning of the rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY

10. The petition was filed by M/s. Kanoria Chemicals & Industries Ltd. There are two other companies in India who created capacity for production of Pentaerythritol namely Asian Paints (India) Ltd. and Perstorp Chemicals India (P) Ltd.

Views of domestic industry

11. It has been submitted by the petitioner that whereas Asian Paints produces the product under consideration primarily for captive consumption; it has undertaken some sales in the Indian Market in the relevant period. It has been submitted that production of Asian Paints to the extent of captive consumption should not be included on the grounds that (i) such captive consumption does not compete with the dumped imports in the merchant market and therefore the company is unaffected by the dumping practices to such an extent and they have not actively participated in the previous as well as present investigations only because they are not affected by the dumping to the extent petitioner is affected; and also the fact that the WTO decision on this subject does not state that captive consumption cannot be excluded, it merely states that injury examination cannot be restricted to one type if the "domestic industry" is having both captive and merchant market.

12. It has also been submitted that Perstorp is largely an importer of the subject goods. It has been further added that Perstorp has completely switched over to imports and closed production in the POI and therefore Perstorp cannot be considered as domestic industry on the grounds that (i) the company is itself a major importer from one of the subject countries; (ii) the company is related to the foreign producer in Sweden; (iii) the company reduced its own production and increased imports; (iv) the company sold its own production and imported product interchangeably in a mixed manner;(v) company did not provide relevant injury information to the Authority in spite of all claims of cooperation in the original investigation. (vi) the company has not responded in the current investigations, too.

D.2 VIEWS OF THE EXPORTER, IMPORTERS, CONSUMERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

13. None of the importers, consumers, exporters and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to the standing of the domestic industry.

D.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

14. After examination of various submissions, it is noted that the production of petitioner constitutes a major proportion in Indian Production (both after including and excluding captive consumption by Asian Paints) and therefore petitioner has been treated as "domestic industry" within the meaning of the Rules. It is further noted that the applicant constitutes domestic industry, as required under rule 2(b) of Anti dumping rules.

E. DUMPING MARGIN

15. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:

(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

E.1 Normal value

16. The Authority notes that none of the exporters from Chinese Taipei has filed any response. As information about actual domestic sales price, information on exports to third country or cost of production in Chinese Taipei and other information as per the questionnaire have not been furnished by the producer/exporter in that country; the Authority has relied upon the best available information for determination of normal value. The petitioner has provided details of normal value in Chinese Taipei on the basis of price of Methanol published in ICIS-LOR and estimates of cost of production in Chinese Taipei. In the absence of any response from the exporters in the form and manner prescribed, the Authority has determined normal value in Chinese Taipei on the basis of construction by estimating cost of production in accordance with Rule 6(8) supra.The normal value so determined for Chinese Taipei is US $ 1,440 per MT. The normal value has been constructed by adopting ICIS-LOR (Europe) prices of raw material, i.e. Methanol, best consumption factors for the raw materials and best known estimates of conversion cost during the relevant period. Selling, general & administrative costs and reasonable profit margin has been added to the cost of production so determined so as to arrive at a constructive normal value.

E.2. Export Price

17. The Authority has taken into account transaction wise data from IBIS with regards to imports. IBIS import statistics has been adopted for the reason that the information reported by DGCI&S also includes di-penta which is not in the scope of product under consideration; whereas IBIS reports information on the basis of item description where product under consideration can be identified.

In addition, it is also noted that the volumes reflected in IBIS information are higher than DGCI&S. In fact, substantial imports have also been reported under classifications not meant for Pentaerythritol. The Authority notes that the IBIS information shows imports of 2,786 MT of Pentaerythritol from Chinese Taipei. The export price has been taken from transaction-wise information provided by IBIS. After making adjustments on account of ocean freight, overseas insurance, inland freight, port expenses, bank charges, the ex-factory export price is calculated at US$ 946 per MT.

E.3 Dumping Margin

18. The principles governing the determination of normal value, export price and the dumping margin as laid down in the Custom Tariff Act and the Anti Dumping Rules are elaborated in Annexure I to the Rules.The dumping margin has been established on the basis of a comparison of normal value with export price. The dumping margin for exports of the subject goods from Taiwan is assessed as US$ 494.18 per MT.

Dumping Margin Calculation:

	Per MT
Normal value(US$)	****
Export price(US$)	945.74
Dumping margin(US$)	****
Dumping Margin %	50-55
Import volumes (MT)	2,786

Lasting nature of the changed circumstances and likelihood of dumping

19. The domestic industry has quoted the Article 11.2 of the agreement on antidumping and Rule 23 of the antidumping rules saying that the midterm review has been rightly initiated as they had submitted positive information substantiating the need for review though they maintain that such a requirement is not contemplated by rule 23.

20. In accordance with the practices of the Authority, it was examined whether changed circumstances could be said to be of lasting nature or if there would be chances of increased dumping if the anti dumping duty is not enhanced. It was found after examination that the domestic industry is suffering injury due to dumped imports from the subject country despite imposition of anti dumping duty. In addition, it is noted that dumped imports of subject goods from Chinese Taipei remain significant during the POI and their volume of imports remain significant during the injury period. Further, It has been submitted that the exporters had significant exports of subject goods to countries other than India during the POI. In view of the above, it is

noted that changed circumstances are of lasting nature and there is a need to change the quantum of duty based on the present investigations.

F. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

F.1 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

21. The domestic industry has submitted as under:-

i. There is significant volumes at dumped prices in spite of anti dumping duty being in force.
ii. Existing measure is no longer sufficient to counteract the dumping which is causing injury.
iii. Export price from the subject country is at significantly dumped level.
iv. Production, sales and capacity utilization of the domestic industry has shown some improvement after the imposition of anti dumping duty on dumped imports. However, profit/loss had shown improvement up to 2007-08 and then started deteriorating in 2008-09 to the extent that losses were suffered in the POI. Profit before interest &taxes, cash profits, return on investments have all shown a similar trend.
v. Imports from the subject country have been undercutting the prices of the domestic industry in the market to a significant degree.
vi. Imports from the subject country have forced the domestic industry to reduce the prices steeply during investigation period. Thus, the imports were depressing the prices in this period.
vii. Employment levels with the domestic industry have not undergone any significant change.
viii. Inventory level with the domestic industry declined and then increased in the POI.
ix. The domestic industry posted negative growth in terms of price parameters, viz., cash flow, profits, return on investments etc. and market share. Overall, the domestic industry faced negative growth.
x. Considering the huge production capacities of the subject goods in the subject country and their export orientation and the increasing demand for the subject goods in India, in all likelihood review and enhancement in the quantum of anti dumping duty is necessary to curb the spurt in the dumped imports injuring the domestic industry.
xi. In the event anti dumping duties are not enhanced, the domestic industry would face much bigger threat of imports from subject countries.
xii. In reply to the disclosure statement, the domestic industry has reiterated all their submissions and has requested Authority to impose the duty on fixed basis in Indian rupees.

22. The domestic industry has submitted that various parameters relating to domestic industry collectively and cumulatively establish that the domestic industry has suffered material injury.

F.2 VIEWS OF THE EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES

23. None of the exporters, importers and other interested parties have raised any issues in this regard.

F.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

24. The Authority has considered import data as per IBIS data as volumes reflected by IBIS are found to be higher than DGCI&S data. In the subsequent paragraphs, the Authority has analyzed injury parameters as per Rules. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.

Volume Effect of Dumped Imports

25. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the anti dumping rules provides as under:

"While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India"

Assessment of demand and market share

26. The Designated Authority has determined demand as the sum of domestic sales of the domestic industry, sales of other Indian producers and imports of the subject goods in India from all sources after considering both including and excluding captive consumption by Asian Paints. The demand so assessed is shown in the following table. It would be seen that demand of the product in the country has increased in the POI after a decline in 2008-09, which is attributed to the recessionary effect.

Unit : MT

	2006-07	2007-08	2008-09	POI (Jan-

				Dec-09)
Demand – MT(excluding captive consumption)				
Sales of Domestic industry	5,750	6,117	5,401	6,384
Sales of other Indian producers	7,479	8,342	5,092	2,125
Imports from Taiwan-MTR	260	1,252	247	2,786
Imports from Subject Countries - SSR	1,296	1,588	2,496	1,316
Imports from Subject Countries-Fresh	256	2,900	3,575	6,980
Imports from Other Countries	1,428	1,136	378	583
Total Demand	**16,469**	**21,335**	**17,189**	**20,175**
Trend	*100*	*130*	*104*	*122*
Demand – MT(including captive consumption)	2006-07	2007-08	2008-09	POI (Jan-Dec-09)
Sales of Domestic industry	5,750	6,117	5,401	6,384
Sales of other Indian producers	10,230	11,219	7,467	5,125
Imports from Taiwan-MTR	260	1,252	247	2,786
Imports from Subject Countries - SSR	1,296	1,588	2,496	1,316
Imports from Subject Countries-Fresh investigations	256	2,900	3,575	6,980

Imports from Other Countries	1,428	1,136	378	583
Total Demand	**19,220**	**24,212**	**19,564**	**23,175**
Trend	*100*	*126*	*102*	*121*

Market Share in demand excluding captive (%)	2006-07	2007-08	2008-09	POI (Jan-Dec-09)
Domestic industry	34.92	28.67	31.42	31.64
Other Indian Producers	45.41	39.10	29.62	10.53
Imports from Taiwan-MTR	1.58	5.87	1.44	13.81
Imports from Subject Countries-SSR	7.87	7.44	14.52	6.53
Imports from Subject Countries-Fresh	1.55	13.59	20.80	34.60
Imports from Other Countries	8.67	5.32	2.20	2.89
Market Share in demand including captive (%)	2006-07	2007-08	2008-09	POI (Jan-Dec-09)
Domestic industry	29.92	25.26	27.61	27.55
Other Indian Producers	53.22	46.34	38.17	22.11
Imports from Taiwan-MTR	1.35	5.17	1.26	12.02
Imports from Subject Countries-SSR	6.74	6.56	12.76	5.68

Imports from Subject Countries-Fresh investigations	1.33	11.98	18.27	30.12
Imports from Other Countries	7.43	4.69	1.93	2.52

27. The Authority notes that the imports from the subject country have significantly increased over the injury investigation period. Sales of the domestic industry declined significantly in 2008-09, which is attributed to the recessionary effect and thereafter increased in POI. However, market share of the domestic industry declined over the injury period; whereas that of the subject country increased in the period of investigation.

Price Effect

28. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows"

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

29. In a review investigation, it is required to examine whether there has been a significant price effect by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether there is likelihood of recurrence of price effect in case duty is not enhanced.

	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI (Jan-Dec-09)
Landed Value-without anti dumping duty	Rs./MT	****	****	****	****
Indexed	Trend	*100*	*94*	*65*	*63*
Landed Value-with anti dumping duty	Rs./MT	****	****	****	****
Indexed	Trend	*100*	*95*	*69*	*66*

Net Sales Realization	Rs./MT	****	****	****	****
Indexed	Trend	*100*	*115*	*120*	*96*
Price Undercutting-without anti dumping duty	Rs./MT	****	****	****	****
Indexed	Trend	*(100)*	*(15)*	*147*	*67*
Price Undercutting-with anti dumping duty	Rs./MT	****	****	****	****
Indexed	Trend	*(100)*	*(44)*	*63*	*11*
Price Undercutting-without anti dumping duty	%	****	****	****	****
Trend	Trend	*(100)*	*(13)*	*122*	*70*
Price Undercutting-with anti dumping duty	%	****	****	****	****
Price Undercutting-with anti dumping duty	Trend	*(100)*	*(38)*	*53*	*11*
Non Injurious Price US$	****	****	****	****	****
Price Underselling%					*30-35*

30. The Authority notes that the goods continue to have significant price undercutting and underselling effects on the domestic industry even after the current anti dumping duty being in force.

31. Considering the fact that the Authority is also required to look into the continued imposition of anti dumping duty and also considering the fact that none of the exporters have provided data, it is considered necessary to reevaluate the injury margins for the purposes of comparison with dumping margin for determination of duty component, as per table below;

	Unit	
NIP	Rs./MT	****
Landed cost	Rs./MT	****
Injury Margin	Rs/MT	****
Injury Margin in US $/MT	US $	****
Injury margin as a percentage of NIP	%	30-35

32. Further, there being no response from the subject country, the Authority has relied upon the transaction wise IBIS data to assess the volume and price effect and its consequent impact on domestic industry.

33. **Price suppression and depression**

Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI (Jan-Dec-09)
Cost of sales	Rs/MT	****	****	****	****
Change from base year	Indexed	100	94	108	101
Net sales realization	Rs/MT	****	****	****	****
Change from base year	Indexed	100	115	120	96

34. The cost and price structure of the domestic industry and the landed value of imports from the subject country show that the cost has increased by about 1% over the base year whereas the prices have declined by 4%. The price at which material is being sold by the Indian Producers does not provide reasonable return on investment and is below non-injurious price of the domestic industry. It is noted that whereas the domestic industry prices declined significantly in POI (Rs. 2,800 PMT), the cost of production over the entire injury period increased slightly(Rs. 486 PMT). The Authority therefore concludes that imports were thus suppressing the prices in the market.

Other Economic Parameters Relating to theDomestic Industry

35. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an object examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of the subject goods. Further Annexure II (iv) of the Rules lays down as follows"

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

Actual and potential Production, Capacity and Capacity Utilization, Sales

36. Information on capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry has been as under:-

Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI (Jan-Dec-09)
Installed capacity	Mt	6,000	6,000	6,000	6,000
Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*100*	*100*
Production	Mt	6,267	6,284	6,175	6,379
Trend	*Indexed*	100	100	99	102
Capacity utilization	%	104.44	104.74	102.91	106.32
Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*99*	*102*
Domestic sales	Mt	5,750	6,117	5,401	6,384
Trend	*Indexed*	*100*	*106*	*94*	*111*
Demand including captive consumption	Mt	19,220	24,212	19,564	23,175
Trend	*Indexed*	*100*	*126*	*102*	*121*

37. It is noted that the production, sales and capacity utilization of the domestic industry shows improvement during injury period.

Profits, return on investment and cash flow

38. Profits, return on investment and cash flow of the domestic industry has been examined as under:

Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI (Jan-Dec-09)
Profit before tax	Rs/Lacs	****	****	****	****
Trend	Indexed	*100*	*4,831*	*2,445*	*(724)*
Profit before interest and tax	Rs/Lacs	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	1,031	553	(145)
Return on capital employed (NFA basis)	%	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	950	484	(78)
Cash profit	Rs/Lacs	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	1,047	572	(44)

39. The above data shows that the profitability improved in 2007-08 and 2008-09 as a result of anti dumping duty imposed on imports from dumped sources. However, the position deteriorated significantly in the period of investigation. Similar trend is observed with respect to cash profit and return on investment. The Authority concludes that the profitability of the domestic industry, even though improved substantially, has once again declined in POI, and has not been able to recover back to its earlier established position. In fact, the domestic industry has incurred losses in the POI.

Employment and wages

40. It is noted that the constituent of the domestic industry is a multi product multi location company; therefore, there may not be direct effect of dumping on employment levels of the domestic industry. Status of employment levels and wages of the domestic industry has been as under:

Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI (Jan-Dec-09)
Employment (Manpower strength)	Nos	59	64	66	67
Trend	Indexed	100	108	112	114
Wages	Rs/Lacs	232.13	269.56	296.09	324.79
Trend	Indexed	100	116	128	140

41. The Authority concludes from the above that employment level of the domestic industry has almost remained stagnant whereas wages show a positive trend.

Actual and potential decline in Productivity

42. The productivity of the domestic industry is given in the following table:

Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI (Jan-Dec-09)
Productivity per employee	Mt	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	92	88	90
Productivity per day	Mt	****	****	****	****
Trend	Indexed	100	100	99	102

43. The Authority notes from above table that productivity of the domestic industry declined between 2007-08 and 2008-09, but improved again in POI. However, the productivity levels per employee in POI, even though better than 2008-09 were lower than productivity levels in 2006-07.

Inventories

44. The Designated Authority has examined the inventory level of the domestic industry, which is given in the following table:-

Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI (Jan-Dec-09)
Average stock	MT	****	****	****	****

Trend	Indexed	100	24	39	83
Average stock in terms of No. of days sales	No. of days	****	****	****	****
Trend	Indexed	*100*	*23*	*42*	*75*

45. Based on the above, it is noted that the inventory levels of the domestic industry declined in 2007-08 and then increased in 2008-09 and the POI. In fact, inventory levels with the domestic industry continued to be significant. It has been submitted by the domestic industry that they cannot afford to hold high stock of inventories and have to dispose of the same at whatever prices it can sell the product in the market.

Factors affecting domestic prices

46. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In order to assess the effect of imports on the domestic market, The Designated Authority analyzed import prices over the injury period and found that the landed value of imports per MT from subject country, in period of investigation, is lower than the net selling price and non-injurious price. Change in cost structure if any, due to competition in the domestic industry and prices of competing substitutes have been examined for analyzing the factors other than dumped imports that might be affecting the prices in the domestic market. The Authority concludes that there is no viable substitute to this product and the prices were affected due to dumped prices.

47. The Designated Authority determined the net sales realization of the domestic industry considering selling price, excluding taxes & duties, rebates, discounts and freight & transportation. Landed price of imports has been determined considering weighted average CIF import price with 1% landing charges and applicable basic customs duty. Further, the landed price so arrived at after including anti dumping duty in force was also compared with the net sales realization of the domestic industry.The Authority concludes that landed value of imports from the subject country was lower than the net sales realization of the domestic industry for the subject goods during the POI even after addition of applicable anti dumping duty, thereby, undercutting the selling price of the domestic industry. The undercutting margin without anti dumping duty was 15-25% and with anti dumping duty was 4-10%.

48. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the

landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been worked out for the domestic producer by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. It is noted that the the landed value of imports per MT, in period of investigation, is lower than the non injurious price determined for the domestic industry during the period of investigation in respect of the subject country. The underselling margin is significant.

Growth

49. On examination of various economic parameters of the domestic industry, Authority notes that though the volume parameters such as production and sales show improvement; various price parameters of the domestic industry show negative trend, which is in spite of anti dumping duty in force, and concludes that resultantly, growth of the domestic industry remained negative.

Ability to raise capital

50. The domestic industry is a multi product company. Their ability to raise further investment is not a significant factor in this case.However,should the dumping from the present sources persist, ability of the domestic industry to raise capital would suffer severely.

Imports from other countries and other Known Factors

51. During the POI, imports have taken place from subject country of present investigation, and other countries against which investigation is in progress. Imports from countries other than these countries are negligible.

Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

Particulars	Unit	2006-07	2007-08	2008-09	POI (Jan-Dec-09)
Total demand excluding captive	MT	16,469	21,335	17,189	20,175
Trend	*Indexed*	*100*	*130*	*104*	*122*
Total demand including captive	MT	19,220	24,212	19,564	23,175
Trend	*Indexed*	*100*	*126*	*102*	*121*

52. The data shows demand of the product under consideration had declined in 2008-09 and then increased in the POI. Decline in demand cannot be considered as the factor that would have impacted the domestic industry. Overall demand for subject goods has shown significant positive growth during the injury period. It is also noted that no significant change in the pattern of consumption has come to the knowledge of the Authority, nor any interested party has made any submission in this regard.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

53. The subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market. The domestic industry competes among one another and at the same time competes with the landed price of the subject goods. The price of the domestic industry is determined by the landed price of subject goods. Moreover, imports from other sources have sizable presence in the Indian market.

Development of technology and export performance

54. It is noted that the investigation has not shown that there was any significant change in technology which could have caused injury to the domestic industry.

Exports by the domestic industry

55. The exports of the domestic industry are only 140 MT during the POI and it constitutes nearly 2% of their production. Further, the price and profitability in the domestic and export market has been segregated by the Authority for the purpose of present injury assessment. Therefore, exports could not have affected its overall performance.

Magnitude of Injury and injury margin

56. The non-injurious price for the subject goods has been compared with the landed value of the exports of subject goods from the subject country for determination of injury margin. The injury margin has been worked out as under:

POI (Jan-Dec 2009)	Pentaerythritol from Chinese Taipei

All Producers & Exporters.	Price (USD) per MT
Landed price (USD PER MT)	****
Non-Injurious Price (USD PER MT)	****
Injury Margin (USD PER MT)	****
Injury Margin (INR)	****
Injury Margin as a % of Non Injurious Price	30-35%

57. The Authority notes that while listed other known factors do not show that injury to the domestic industry has been caused by these factors, following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by dumped imports of subject goods from Chinse Taipei:

a) The landed prices of imports of subject goods from Chinese Taipei were lower than the selling price of the domestic industry. As a result of price undercutting, the consumers have resorted to higher volume of imports, thus leading to decline in market share of the domestic industry. Imports from other countries (not attracting anti dumping duties and not under fresh investigations) are negligible.

b) The subject imports have caused price underselling in the Indian market. Resultantly, lower import prices have prevented the domestic industry from increasing their prices.

c) The domestic industry has not been able to increase its prices in order to come out of the injury suffered in the past. Price depression effect on account of the dumped imports from Chinese Taipei has resulted in continued financial losses to the domestic industry and consequently continued negative return on investment and cash profits. Thus, continued adverse performance on account of profits, return on investments and cash profits is due to presence of dumped imports in the market.

58. The Authority therefore, concludes that the dumped Chinese Taipei imports have caused continued injury to the domestic industry within the meaning of Rule 11 of Anti-dumping Rules and Article 3.5 of Agreement of Anti- dumping.

Indian industry's interest & other issues

59. The Authority recognizes that imposition of anti-dumping duties might affect the price level of product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods.

60. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

FINAL FINDINGS:

61. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submission of interested parties or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis, the Authority concludes that:

i The subject goods are entering the Indian market at dumped prices and dumping margins of the subject goods imported from Chinese Taipei is significant and above de-minimis. The subject goods continue to be exported to India at dumped prices in spite of existing anti dumping duties.

ii. The domestic industry continues to suffer material injury on account of dumped imports of subject goods from Chinese Taipei in spite of existing anti dumping duties. Further, should the present anti dumping duties not be enhanced, injury to the domestic industry is likely to intensify.

62. Having concluded that the product continues to be exported at dumped prices and the situation of the domestic industry continues to be fragile and the current quantum of anti dumping duty on dumped imports from Chinese Taipei is insufficient, the Authority is of the opinion that the measure is required to be enhanced in respect of imports from the subject country. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends enhancement in the quantum of anti dumping duty on imports of subject goods from Chinese Taipei at the rates specified in the table below,

63. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining extent of injury, the landed value of imports has been compared with the non-injurious price of the domestic industry determined for the

period of investigation. Accordingly, the antidumping duty equal to the amount mentioned in Col 9 of the table below is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from Chinese Taipei.

Duty Table

Sl. No.	Sub-heading	Description	Specification	Country Of origin	Country Of export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	2905.42	Pentaerythritol	Any	Chinese Taipei	Chinese Taipei	Any	Any	24,167	MT	INR
2.	2905.42	Pentaerythritol	Any	Chinese Taipei	Any country except country/ies or territory subject to anti dumping duty	Any	Any	24,167	MT	INR
3.	2905.42	Pentaerythritol	Any	Any country except country/ies or territory subject to anti dumping duty	Chinese Taipei	Any	Any	24,167	MT	INR

64. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.